



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना - 800001

18228
13-12-16

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

सेवा में,

श्री संजीव

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, नोखा
जिला- रोहतास

सं०२ महाशय,

14/12/16

नगर पंचायत, नोखा के वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 298/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रेमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा संप्रति एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य विप्राप्ति की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि



भवदीय,

-६०-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 14619/328

दिनांक- 02/12/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- 1- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
- 2- जिलाधिकारी, नोखा

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

10
21/12
542
15/12/16

के, यदि कोई हो, साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। साथ ही, मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी अपने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षक द्वारा बतायी गयी त्रुटियों को दूर करेंगे। इसके अतिरिक्त धारा 94 में यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी नगरपालिका द्वारा लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन अंगीकार किए जाने के पश्चात उस पर नगरपालिका द्वारा की गयी कार्रवाई प्रतिवेदन के साथ उन्हें राज्य सरकार को अग्रसारित करेंगे और इसकी प्रति स्थानीय लेखापरीक्षक को भेजेंगे।

उक्त के संबंध में बताया गया कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० 793/08-09, 18/12-13, 440/13-14 का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व में ही महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा चुका है।

9. अंकेक्षण टिप्पणी – नगर पंचायत, नोखा की लेखा का संधारण संतोषप्रद नहीं था। इसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। अनुदान तथा अनुदान विनियोग पंजी, अग्रिम पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। माँग एवं बकाया पंजी का भी संधारण नहीं किया गया था। नगर पंचायत, नोखा के प्रशासन से आग्रह है कि इनके संधारण हेतु प्रयास किया जाये। अवरोधित राशि का उपयोग नहीं किया जा रहा था। नगर पंचायत, नोखा की लेखा संधारण को अधिक पारदर्शी तथा सुधारात्मक बनाने हेतु विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

10 कार्यपालक से वार्तालाप की गई— दिनांक 27.05.2016 को नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नोखा, रोहतास के साथ निर्गत आपत्तियों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया।

11 लेखापरीक्षा का परिणाम

अंकेक्षण के दौरान वसूली गई राशि— शून्य

वसूली हेतु सुझाई गई राशि — ₹0 4785472

आपत्ति के अधीन रखी गई राशि — ₹0 543745

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट – III पर दिया गया है।)

12. बजट

बिहार नगर पालिका अधिनियम-2007 की धारा-84 के भाग (i) के अनुसार नगर निकाय को तैयार किए गए बजट प्राक्कलन मार्च माह के 15 तारीख तक सरकार को भेजना है। भाग (2) के अनुसार बजट प्राक्कलन सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाएँगे एवं संशोधन अथवा बिना संशोधन के राज्य सरकार द्वारा मार्च, 31 के पहले निकाय को भेजे जाएँगे।

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

लेखापरीक्षा में बजट से संबंधित संचिका उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि सरकार को बजट की प्रति कब भेजी गयी, सरकार द्वारा स्वीकृत बजट नगर निकाय को वापस भेजा गया था या नहीं।

13. वित्तीय विवरणी तथा तुलन पत्र का तैयार नहीं किया जाना।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 88 तथा 89 में क्रमशः वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र तैयार करने का प्रावधान किया गया है। धारा 88 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर एक वित्तीय विवरण तैयार करना है जिसमें नगरपालिका लेखा के मद, पूर्ववर्ती वर्ष का आय- व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं अदायगी को अंतर्विष्ट करना है। इसके अतिरिक्त धारा 89 में प्रावधान किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार माह के भीतर पूर्ववर्ती वर्ष के लिए नगरपालिका की आस्तियों एवं दायित्वों से संबद्ध तुलन पत्र तैयार करना है।

नगर पंचायत, नोखा के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि किसी भी वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र नहीं बनाया गया था।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में वित्तीय विवरण तथा तुलनपत्र तैयार किया जाएगा।

वित्तीय विवरण तथा तुलन पत्र का संधारण कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

14. आय- व्यय विवरणी (सहायक रोकड़ बही एवं पी.एल खाता)

लेखापरीक्षा में उपलब्ध सामान्य रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 का आय- व्यय निम्नलिखित है-

क्रम	विवरण	2013 -14	2014 - 15	2015 -16
1.	प्रारंभिक शेष	3,42,29,890.38	6,03,57,487.38	5,42,53,855.38
2.	वर्ष की प्राप्ति	3,96,60,257	3,94,74,054	6,33,29,602
3.	कुल प्राप्ति	7,38,90,147.38	9,98,31,541.38	11,75,83,457.38
4.	कुल व्यय	1,35,32,660	4,55,77,686	7,80,31,159.45
5.	अंत शेष	6,03,57,487.38	5,42,53,855.38	3,95,52,297.93

(उपर्युक्त आय- व्यय के सार की विस्तृत विवरणी परिशिष्ट - IV पर)

लेखापरीक्षा अभियुक्ति

1. रोकड़ बही का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण अर्थात् स्वीकृतिदाता पदाधिकारी का पत्रांक/दिनांक एवं उद्देश्य दर्ज नहीं था।
2. किसी भी रोकड़बही में मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक आय- व्यय विवरणी तथा बैंक समाधान विवरणी नहीं तैयार किया गया।
3. संबंधित अभिश्रवों को क्रमानुसार रक्षी संचिका में नहीं रखा गया था, सभी अभिश्रव अलग- अलग संचिका में थे जिसके फलस्वरूप सभी अभिश्रवों का मिलान रोकड़बही से नहीं किया जा सका।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

रोकड़ बही का विधिवत संधारण कर तथा अन्य बिन्दुओं का अनुपालन कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

भाग-II

खण्ड (क)- शून्य

भाग- II

खण्ड (ख)

कंडिका 01 सफाई सामग्रियों तथा हाई मास्ट लाईट के कय पर अनियमित रुप से अधिक भुगतान

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131R(xiv) के अनुसार संविदा सामान्यतया उस न्यूनतम मूल्यांकित बोलीकर्ता को दी जानी चाहिए, जिसकी बोली प्रत्युत्तरदायी पायी जाय एवं बोली दस्तावेजों में शामिल किए गए शर्तों एवं प्रतिबंधों के अनुरूप संविदा को संतोषप्रद ढंग से कार्यान्वित करने की पात्रता एवं योग्यता रखता हो। हांलाकि जहाँ न्यूनतम स्वीकार योग्य बोलीकर्ता, तदर्थ आवश्यकता के अनुरूप पूर्ण मात्रा की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं हो, अधिशेष मात्रा की आपूर्ति हेतु न्यूनतम प्रत्युत्तरदायी बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित दर पर, अगली उच्चतर उत्तरदायी बोलीकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है।

सफाई सामग्रियों तथा हाई मास्ट लाईट के कय से संबंधित संचिकाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि सफाई सामग्रियों तथा हाई मास्ट का कय नियमानुसार नहीं किया गया था।

संचिका में कोटेशन तथा निविदा की सूचना की प्रति (हाई मास्ट को छोड़कर) संलग्न नहीं पाया गया।

तुलनात्मक विवरणी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सफाई सामग्रियों का कय अधिक दर पर किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम सं०	सामग्री का नाम	न्यूनतम दर वाले फर्म का नाम तथा दर	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम तथा दर	कुल भुगतान	अधिक दर	सामग्री की सं०	कुल अधिक भुगतान
1.	Hand Trolley 255 Ltr	निलकमल लि०, पटना, रु० 11,000	रिलाईएबल इन्टरप्राईजेज,पटना, रु० 18,900	2,83,500	7,900	15	1,18,500
2.	Hydrolic Rikshaw	सिन्हा इन्टरप्राईजेज, गया, रु० 44,999	रिलाईएबल इन्टरप्राईजेज,पटना, रु० 82,500	7,42,500	37,501	9	3,37,509
3.	Plastic Dustbin	निलकमल लि०, पटना, रु० 39,500	रिलाईएबल इन्टरप्राईजेज,पटना, रु० 55,500	8,32,500	16,000	15	2,40,000
4.	High Mast Light	प्रकाश इन्टरप्राईजेज, गया, (Excluding Sales Tax)= 528985	लक्ष्मी कन्सट्रक्शन ऐंड इलेक्ट्रीकल वर्क्स, सीवान 5,49,000	21,96,000	20,015	04	80,060
				40,54,500			7,76,069

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) वित्तीय नियमों की अवहेलना कर अधिक दर पर क्य कर अधिक भुगतान रु0 776069 किए जाने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी।

जॉचोपरान्त अधिक भुगतान रु0 776069 की वसूली नियमों की अवहेलना कर किए गए क्य हेतु, जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत, नोखा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 02 साफ सफाई कार्य में अनियमित तथा अधिक भुगतान ₹ 2039103

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, नोखा के द्वारा नगर पंचायत अर्न्तगत अवस्थित 15 वार्डों में कच्चा, पक्का नाला की सफाई, सड़कों पर झाडु लगाना, ट्रॉली द्वारा कचरा को एकत्रित कर के ट्रैक्टर तथा टेम्पु के द्वारा यथा स्थान पर फेंके जाने हेतु सचिव, कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना के साथ एकरारनामा किया गया था।

एकरारनामा की शर्त सं0 1 के अनुसार, कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को साफ सफाई कार्य करने हेतु प्रतिमाह रु0 1,65,000 दिया जाना था।

जबकि संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि नगर पंचायत, नोखा के द्वारा कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को निर्धारित राशि से अधिक का भुगतान किया गया था। भुगतान का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	विवरण	माह की सं.	भुगतेय राशि प्रतिमाह	भुगतान की गई राशि प्रति माह	अधिक दर	कुल अधिक भुगतान
1.	जनवरी 14 से सितम्बर 14	09	1,65,000	1,87,500	22,500	2,02,500
2.	अक्टुबर 14 से मार्च 16	18	1,65,000	2,32,500	67,500	12,15,000
						14,17,500

एकरारनामा की शर्त सं0 18 के अनुसार, कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को नगर पंचायत, नोखा के सभी नियमित मजदुरों का मानदेय का भुगतान करना था। साफ सफाई कार्य में नगर पंचायत के चार नियमित मजदुर लगाये गये थे जिनके वेतन एवं भत्तों पर किए गए व्यय तथा संस्था के विपत्र से कटौती की गई मानदेय का विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	नियमित मजदुरों के वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय (जनवरी 14 से मार्च 16)	संस्था के विपत्र से की गई कटौती (जनवरी 14 से मार्च 16)	कम कटौती
1.	12,33,162	7,21,846 -1,10,287 (Refund For Jan 14 to July 14) = 6,11,559	6,21,603

16 अक्टूबर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक नगर पंचायत के चार नियमित मजदूरों के कुल वेतन रु0 51,849 के बराबर कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना के विपत्र से कटौती कर भुगतान किया गया था जबकि जनवरी 14 से मार्च 16 तक नगर पंचायत के चार नियमित मजदूरों के कुल वेतन रु0 12,33,162 के बदले मात्र रु0 6,11,599 अर्थात रु0 6,21,603 की कम कटौती कर समतुल्य राशि का अधिक भुगतान कृषि एजुकेशनल एण्ड हेल्थ सेवा संस्थान, पटना को किया गया था
एकरारनामा की शर्त सं0 20 के अनुसार कार्य संतोषजनक रहने पर उक्त एकरारनामा को 15.10.13 से 31.03.14 तक ही वैध माना जाना था।

जबकि नगर पंचायत द्वारा 31.03.14 के बाद भी नई निविदा आमंत्रित नहीं किया गया था। एकरारनामा की वैधता समाप्त होने के बाद भी उसे बार-बार बढ़ाया गया।

संस्था के साथ एकरारनामा किस आधार पर किया गया था का कोई भी साक्ष्य संचिका में संलग्न नहीं पाया गया। निविदा से संबंधित कोई भी कागजात लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी।

जॉचोपरान्त कुल अधिक भुगतान रु0 2039103 (1417500+ 621603) की वसूली शर्तों की अवहेलना कर किए गए अधिक भुगतान हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत, नोखा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 03 स्ट्रीट लाईट क्रय में अनियमितता

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(I) के अनुसार Limited Tender Enquiry की प्रक्रिया तब अपनाया जाता है जब अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्रियों का आकलित मूल्य पच्चीस लाख रुपये तक हो। बोली से संबंधित दस्तावेज की प्रतियाँ उन फर्मों को जिनका नाम नियम 131 के अन्तर्गत संदर्भित संबंधित वस्तुओं के लिए पंजीकृत आपूर्तिकर्ता की सूची पर हो, सीधे स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक/कुरियर/ई-मेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। सीमित निविदा पुछताछ में आपूर्तिकर्ता फर्मों की संख्या तीन से अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सीमित निविदाओं के लिए वेब आधारित प्रचार किया जाना चाहिए। अधिकाधिक संख्या में प्रतिस्पर्द्धात्मक आधार पर प्रत्युत्तरदायी बोलियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित करने का प्रयास करना चाहिए।

नगर पंचायत, नोखा के स्ट्रीट लाईट क्रय से संबंधित संचिकाओं के जॉच के क्रम में पाया गया कि स्ट्रीट लाईट का क्रय नियमानुसार नहीं किया गया था।

संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि बिना निविदा के ही आपूर्ति आदेश निर्गत की दिया गया।

कार्य का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

कार्य का नाम – नगर पंचायत, नोखा, में स्ट्रीट लाईट क्रय।

आपूर्तिकर्ता का नाम –Ravi Stationery & Order Suppliers, Bikramganj, Rohtas

आपूर्तिकर्ता को भुगतान – 5,27,325

मजदूरी पर भुगतान— 26700

वैट कटौती की राशि — Nil

कुल व्यय— 5,27,325+ 26700 =554025

लेखापरीक्षा अभियुक्ति :-

(i) संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि Ravi Stationery & Order Suppliers, Bikramganj, Rohtas को आपूर्ति आदेश इस आधार पर दिया गया कि उनके द्वारा नगर पंचायत, बिक्रमगंज, रोहतास को पूर्व के दर पर स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति किया गया था। नगर पंचायत, नोखा, रोहतास को आपूर्ति किए गए स्ट्रीट लाईट हेतु रु0 26,700 लेबर चार्ज का भुगतान किया गया था। जबकि नगर पंचायत, बिक्रमगंज, रोहतास को आपूर्ति किए गए स्ट्रीट लाईट हेतु इस प्रकार का कोई चार्ज का भुगतान नहीं किया गया था।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि जॉचोपरान्त उचित कार्रवाई की जायेगी।

जॉचोपरान्त अधिक भुगतान रु0 26,700 की वसूली संबंधित एवं जिम्मेवार व्यक्तियों से कर नगर पंचायत, नोखा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 04 परफॉर्मेंस सेक्युरिटी की कटौती नहीं किया जाना

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131(P) के अनुसार संविदा का देय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए सफल बोलीकर्ता जिन्हें करार प्रदान किया जाय से Performance Security प्राप्त किया जाना है। Performance Security सभी सफल बोलीकर्ता से उनके पंजीकरण स्टेटस को ध्यान में रखे बिना प्राप्त की जाएगी। Performance Security 5 से 10 प्रतिशत राशि तक होना चाहिए। Performance Security सभी तरह से क्रेता के हितों को सुरक्षित करने वाला/किसी वाणिज्यिक बैंक से स्वीकार योग्य फार्म में निर्गत एकाउन्ट पेयी डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/बैंक गारंटी हो सकता है।

Performance Security वारंटी दायित्व सहित आपूर्तिकर्ता के सभी करार दायित्वों के पुरा होने की तिथि से साठ दिन बाद की अवधि तक वैध रहनी चाहिए।

Performance Security की प्राप्ति पर सफल बोलीकर्ता को Bid Security वापस कर दी जानी चाहिए।

कय से संबंधित संचिकाओं के जॉच के क्रम में पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान परफॉर्मेंस सेक्युरिटी की कटौती किए बिना ही कर दिया गया था।

इस प्रकार Performance Security प्राक्कलित राशि 3652125 का 10 प्रतिशत अर्थात् रु0 3,65,212 आपूर्तिकर्ता को अनियमित तरीके से भुगतान कर दिया गया। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्तिकर्ता को भुगतान	देय परफॉर्मेंस सेक्युरिटी
1.	सोलर स्ट्रीट लाईट	अक्षय उर्जा शॉप, सासाराम	9,52,000	95,200
2.	पानी टंकी	आदित्य ट्रेडर्स, भभुआ	3,14,300	31,430
3.	Hand Trolley 255 Ltr	रिलाईएबल इन्टरप्राइजेज,पटना	2,83,500	28,350
4.	Hydraulic Rikshaw	"	7,42,500	74,250
5.	Plastic Dustbin	"	8,32,500	83,250
6.	स्ट्रीट लाईट	Ravi Stationery & Order Suppliers, Bikramganj, Rohtas	5,27,325	52,732
			36,52,125	3,65,212

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में उक्त सुझावों का अनुपालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी आपूर्तिकर्ताओं से Performance Security प्राप्त किया जाय तथा लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय तबतक अनियमित रूप से भुगतान की गई राशि रु0 3,65,212 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका 05 वैट की कटौती नहीं किया जाना

बिहार वैट अधिनियम के धारा 40 एवं 41 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी प्रकार के सामग्री के भुगतान के समय वैट की कटौती कर ही भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तथा वैट के रूप में कटौती की गई राशि वाणिज्य कर विभाग में जमा कर दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर जिम्मेवार व्यक्तियों से दोगुनी राशि की वसूली का प्रावधान है। क्रय से संबंधित संचिकाओं के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि भुगतान के समय वैट की कटौती नहीं किया गया था। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	सामग्री का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	आपूर्तिकर्ता को भुगतान	देय वैट
1.	एल0 ई0 डी0 लाईट	प्रकाश इंटरप्राइजेज, गया	22,30,000	1,11,500
2.	सोलर स्ट्रीट लाईट	अक्षय उर्जा शॉप, सासाराम	9,52,000	47,600
3.	पानी टंकी का क्रय	आदित्य ट्रेडर्स, भभुआ	3,30,400	15,715
4.	स्ट्रीट लाईट	Ravi Stationery & Order Suppliers, Bikramganj, Rohtas	5,27,325	26,366
				2,01,181

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं का ध्यान भविष्य में रखा जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं है। वैट की कटौती नहीं करने हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से रु0 2,01,181 की वसूली कर वाणिज्य कर विभाग को प्रेषित कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

कंडिका 06 नक्शा स्वीकृति में डेवलपमेन्ट परमिट फीस नहीं लेने के कारण रु0 19,500 की हानि।

बिल्डिंग बाई लॉ के नियम 4.1 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति संगठन सहित, केन्द्र/राज्य सरकारों के विभाग या स्थानीय निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को किसी भवन का निर्माण, पुनर्निर्माण

अथवा परिवर्तन करने या गिराने अथवा भूमि के किसी खण्ड का विकास करने से पूर्व प्राधिकार से पृथक भवन निर्माण अथवा विकास करने की अनुमति लेना होगा। इसके अतिरिक्त, मोडिफाईड बिल्डिंग बाई-लॉ के बाई-लॉ सं0 6.1 में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शा का कोई भी आवेदन तब तक वैध नहीं होगा जब तक की आवेदनकर्ता बाई-लॉ सं0 6.2 में उल्लेखित निम्न डेवलपमेन्ट परमिट फीस जमा नहीं कर दिया जाता है तथा आवेदन के साथ रसीद का अभिप्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं किया जाता है।

क्षेत्रफल

परमिट फीस

एक हेक्टेयर तक	रु 1500 /-
एक हेक्टेयर एवं उससे ऊपर तथा 2.5 हेक्टेयर तक	रु 3000 /-
2.5 हेक्टेयर से ऊपर	रु 5000 /-

वाणिज्यिक भवनों के लिए उपरोक्त का दोगुना शुल्क लेना है।

राज्य सरकार ने जून 2009 में एक अधिसूचना निकाला कि 15 जुलाई 2009 के बाद सभी भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति वास्तुविदों द्वारा दिया जाएगा तथा 'विकास परमिट शुल्क', भवन निर्माण परमिट शुल्क एवं अन्य शुल्क जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा लगाया जाएगा की वसूली वास्तुविदों द्वारा की जाएगी तथा भवन निर्माण योजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रतिवेदनों के साथ प्राप्त राशि निकाय कोष में उनके द्वारा जमा की जाएगी।

नक्शों से संबंधित रजिस्टर एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नक्शा पंजी के अनुसार कुल 13 नक्शा लेखापरीक्षा अवधि में पारित किया गया था।

वित्तीय वर्ष	पारित नक्शों की संख्या
2013-14	05
2014-15	05
2015-16	03
कुल	13

इन स्वीकृत नक्शों की जाँच में पाया गया कि किसी भी नक्शा की स्वीकृति के लिए नगर निकाय द्वारा डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ता से नहीं लिया गया था। इस अवधि में कुल 13 नक्शे नगर पंचायत, नोखा कार्यालय द्वारा पारित किये गये थे, लेकिन डेवलपमेन्ट परमिट फीस आवेदनकर्ताओं से नहीं लिया गया था। न्यूनतम प्रति नक्शा रु0 1,500 के गणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के अवधि में नगर निकाय को स्वीकृत नक्शों पर न्यूनतम रु0 19,500 (13X1500) की हानि हुई।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में नक्शा पंजी का संधारण किया जाएगा। डेवलपमेन्ट परमिट फीस की राशि रु0 19,500 की वसूली नहीं करने हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से रु0 19,500 की वसूली कर नगर पंचायत, नोखा के कोष में जमा कर लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 07 संचार टावरों का पंजीकरण और नवीकरण शुल्क की वसुली नहीं रू0 15.37 लाख ।

बिहार सरकार द्वारा संचार टावर संबंधित संरचना पर करों के सम्बन्ध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है।

उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कोई संचालक जो पूर्व में संचार टावर स्थापित कर चुका है या स्थापित करना चाहता है उसे संबंधित दस्तावेज तथा विहित अपेक्षित फीस के साथ नगरपालिका को आवेदन करना है।

नियमावली के नियम 6(1)के अनुसार नगर पंचायत पंजीकरण शुल्क के रूप में रू0 30,000 प्रति टावर एवं रू0 8,000 नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित किया है। नियम6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटीना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जाएगा।

नियमावली 6(7) के अनुसार वार्षिक नवीकरण फीस पूर्ण वर्ष के लिए अग्रिम में देय होगा अथवा अनुपातिक रूप से देय होगा, अगर पंजीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत की जाती है। वार्षिक नवीकरण शुल्क प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय होगा। अगर उस वित्तीय वर्ष का वार्षिक नवीकरण शुल्क 30 अप्रैल तक नहीं प्राप्त होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज उपार्जित तथा देय होगा।

उपलब्ध कराये गये संचिका से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.03.2016 तक 09 अधिष्ठापित संचार मीनार थे, जिनके पास लेखापरीक्षा के गणना के अनुसार रू0 15,37,896 बकाया था। जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम	संचार टावर का नाम	बकाया राशि
1	BSNL	272440
2	RELIANCE	96320
3	AIRTEL	136800
4	AIRCEL	185720
5	AIRCEL	185720
6	TATA INDICOM	140640
7	UNINOR	84384
8	IDEA	164120
9	VODAFONE	98472
10	TOWER VISION	32640
11	TATA INDICOM	140640
	TOTAL	15,37,896

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित मोबाईल कम्पनियों को पूर्व में भी नोटिस दिया जा चुका है। बकाया राशि कि वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

बकाया राशि रू0 15,37,896 संबंधित संचार कम्पनियों से वसूल कर नगर पंचायत, नोखा के कोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 08 'एम' एवं 'एन' फार्म नहीं रहने के कारण ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि ₹ 178533

माईन्स एवं मिनिरल निगम 1972 के आलोक में मुख्य सचिव के सर्कुलर न0 1/ESH-108/81-462 के पारा 16 के भाग 2 दिनांक 30.03.82 एवं सरकार के पत्र सं0 585 दिनांक 21.03.2007 (माईन्स एवं मिनिरल विभाग) के अनुसार साम्रगी के ढुलाई पर भुगतान तभी मान्य है जब संवेदक/ऐजेसी द्वारा चलंत बिल के साथ एम एवं एन फार्म जमा किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कार्य संचिका के अवलोकन से पता चला कि ऐसी कोई फार्म संचिका में संलग्न नहीं पायी गयी। एम एवं एन फार्म नहीं रहने के बावजूद ढुलाई पर किए गए खर्च का भुगतान किया गया। जिससे संवेदक/कनीय अभियंता को राशि रु0 178533 का अनियमित भुगतान किया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एकरारनामा/परिमाण विपत्र में स्पष्ट लिखा गया कि बिना एम एवं एन फार्म के भुगतान नहीं किया जायेगा परन्तु भुगतान कर दिया गया।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट- V पर)

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि नगर निकाय कार्यालय में योजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित किये बिना भुगतान किया गया था। संचिका में गुणवत्ता परीक्षण का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। साथ ही संचिका से यह पता नहीं चल सका संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा गुणवत्ता जाँच हेतु कार्य में प्रयुक्त सामाग्री एवं Cube Test का नमूना संग्रहित किया गया था अथवा नहीं।

उपरोक्त आपत्ति के संबंध में जवाब दिया गया कि संबंधित संवेदकों को एम एवं एन फार्म जमा करने हेतु नोटिस दिया जायेगा।

संबंधित संवेदकों से एम एवं एन फार्म प्राप्त कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय तबतक व्यय राशि रु0 178533 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका 09 योजनाओं में विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं करने से संवेदक को अधिक भुगतान रु0 144993

बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संवेदक द्वारा कार्य का एकरारनामा फार्म एफ-2 (अनुसूची एक्स एल वी फॉर्म-61) में किया जाना चाहिए जिसमें संविदा के सामान्य नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 में विलम्ब से कार्य समाप्ति पर संवेदक के विपत्र से विलम्ब शुल्क 0.5 प्रतिशत प्रति दिन और अधिकतम प्राक्कलन का 10 प्रतिशत का प्रावधान है।

योजनाओं के नमूना जांच में पाया गया कि संवेदकों से कार्यादेश के अनुरूप कार्य पूर्ण करने हेतु दिये गए समय से विलम्ब से कार्य को पूर्ण किया गया था। इसके बावजूद भी संबंधित संवेदकों से विलम्ब दण्ड की कटौती नहीं की गई थी।

उपरोक्त सभी योजनाओं में फार्म एफ-2 के नियम एवं शर्तों के उपबंध 6 के अनुसार किसी भी योजना में कार्यपालक अभियन्ता द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र संचिका में संलग्न नहीं पाया। अंतिम पूर्णतः प्रमाण के पत्र के अभाव में मापी पुस्तिका में हस्ताक्षर के तिथि को योजना पूर्ण करने की तिथि मानी गयी।

इस प्रकार एकरारनामा के निर्धारित प्रपत्र फार्म एफ-2 के नियम एवं शर्तों के उपबंध 2 के अनुसार कार्य पूर्ण करने में हुए विलम्ब के लिए विलम्ब दण्ड के रूप में रु0 144993 की वसूली नहीं की गई।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट -VI पर)

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में विलम्ब शुल्क की कटौती की जायेगी। विलम्ब शुल्क रु0 144993 कटौती नहीं करने हेतु जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूल कर नगर पंचायत, नोखा के कोष में जमा कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

कंडिका 10 योजनाओं में वैट की कम कटौती

बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 40 के साथ पठित संगत नियम 28 के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता के विपत्र से वैट की कटौती करना अनिवार्य है। कटौती केवल उसी स्थिति में नहीं की जा सकती है जब आपूर्तिकर्ता द्वारा अंचल प्रभारी वाणिज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 41(06) के प्रावधान के अनुसार वैट की कटौती नहीं करने पर भुगतान करने वाले संस्थान पर निहित कर की राशि की दोगुनी राशि शास्ति (पेनाल्टी) के रूप में अधिरोपित करने का प्रावधान है।

योजना संचिकाओं के जाँच के क्रम में पाया गया कि वैट की कम कटौती की गई थी।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट -VII पर)

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि संबंधित अभिकर्ताओं को सूचित करके वैट की राशि जमा करने हेतु निर्देश दिया जायेगा।

वैट की कम कटौती की गई राशि रु0 40,030 की वसूली संबंधित अभिकर्ताओं से कर वाणिज्य कर विभाग को प्रेषित कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाय।

TAN

टिप्पणी 01 सरकारी अनुदान

सरकार अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले अनुदानों का संधारण अनुदान पंजी में किया जाना था तथा इसमें अनुदानवार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का पूर्व शेष, वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाला अनुदान, वर्ष के दौरान किये गये व्यय तथा वर्ष के अन्तःशेष को दर्ज किया जाना था। लेकिन नगर पंचायत, नोखा के द्वारा अद्यतन अनुदान पंजी संधारित नहीं किया गया था। इसके अभाव में सभी अनुदानों के संबंध में यह

ज्ञात नहीं हो सका कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 में प्रारंभिक शेष क्या था तथा कौन से अनुदान कितने वर्षों से अनुपयोगी पड़े हुये थे।

हालांकि प्रस्तुत विभिन्न सहायक रोकड़ वहियों एवं लेखापाल रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत कार्यालय को वर्ष 2013-14 से 2015-16 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकारी अनुदान रु0 7,51,47,910 प्राप्त हुआ था। विवरणी संलग्न परिशिष्ट -VIII पर दिया गया है।

अनुदान पंजी के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सका कि इन अनुदानों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया गया अथवा नहीं जिन प्रयोजनों के लिए ये अनुदान सरकार से प्राप्त हुए थे, साथ ही, यह भी नहीं ज्ञात किया जा सका कि प्राप्त अनुदानों के विरुद्ध कितने राशि का उपयोग किया गया तथा वर्ष के अंत में कितनी राशि अनुपयोगी पड़ी रही।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में अनुदान पंजी का संधारण किया जायेगा।

अतः अनुदान पंजी का अद्यतन संधारण जिसमें अनुदानवार प्रारंभिक शेष, वर्ष की प्राप्ति एवं व्यय तथा अंतशेष का विवरणी हो, किया जाय एवं आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

टिप्पणी 02 आंतरिक लेखापरीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राज्य सरकार या नगर निकाय प्रतिदिन के लेखाओं की लेखा परीक्षा की व्यवस्था उस रीति से करेगी जैसा कि वह उचित समझे।

नगर पंचायत, नोखा के वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 में नगर निकाय कार्यालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण नगर निकाय के प्राप्तियों तथा व्ययों में कई गंभीर अनियमिततायें पायी गयी।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि इस संबंध में सरकार/विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

कार्रवाई की फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय।

टिप्पणी 03 परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 105 में यह प्रावधान किया गया है कि :-

- (1) सशक्त स्थायी समिति, नगरपालिका की समस्त अचल सम्पत्तियों जिसका नगरपालिका स्वामी है या वह उसमें निहित है अथवा जो उसे सरकार के न्यास के रूप में प्राप्त है के विवरणों की एक पंजी तथा एक मानचित्र रखेगी तथा नगरपालिका की समस्त चल सम्पत्तियों की पंजी भी समिति के अधीन रहेगी।
- (2) किसी अचल सम्पत्ति की तालिका के मामले में सशक्त स्थायी समिति एक वार्षिक विवरण तैयार करेगी जिसमें कथित तालिका में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे चिन्हित करेगी तथा उसे बजट-प्राक्कलन के साथ नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी।”

नगर पंचायत, नोखा के द्वारा परिसम्पत्ति पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा था। अतः यह पता नहीं चल सका कि नगर निकाय के पास कितनी परिसम्पत्ति थी। साथ ही साथ यह भी पता नहीं चल सका कि परिसम्पत्तियाँ से नगर निकाय को कितनी आय प्राप्त हो रही थी।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में परिसम्पत्ति पंजी का संधारण किया जाएगा। अतः परिसम्पत्ति पंजी का अद्यतन संधारण कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

टिप्पणी 04 नक्शा पारित करते समय श्रम सेस की कटौती नहीं की गयी

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या- वी0सी0 डब्लू0सी0-01/2008 द्वारा राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को यह सूचित किया गया था कि बिहार राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" का गठन दिनांक-18.02.08 को किया जा चुका है। साथ ही सभी कार्य विभागों से यह अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय वर्ष 2007-08 से उनके द्वारा लिए गये योजनाओं के कुल लागत का एक प्रतिशत सेस श्रम संसाधन विभाग के विकास भवन में गठित "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड" में जमा करें।

इसके अतिरिक्त वैसे रिहायसी मकान जो निजी उपयोग के लिए बनाये गये थे और जिसका लागत 10 लाख रुपये से अधिक था उनसे एक प्रतिशत राशि नक्शा पारित करने के समय ही वसूल कर नगर निकाय में जमा करना था।

उल्लेखनीय है कि नक्शा पंजी में पारित नक्शों का ना तो क्षेत्रफल अंकित किया गया था ना ही प्राक्कलित राशि अंकित किया गया था। जिसके कारण श्रम सेस मद में वसूली योग्य राशि की गणना नहीं की जा सकी।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि भविष्य में नक्शा पंजी का संधारण किया जाएगा।

नक्शा पंजी का विधिवत संधारण कर नक्शा पारित करते समय श्रम सेस की कटौती कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

टिप्पणी 05 सरकारी भवनों पर भवन कर की बकाया राशि

नगर पंचायत द्वारा किसी भी सरकारी भवन का कर निर्धारण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को राजस्व की क्षति हो रही थी।

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि सरकारी भवन का कर निर्धारण शीघ्र किया किया जाएगा।

सरकारी भवन का कर निर्धारण शीघ्र कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

टिप्पणी 06 स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सरकारी निधि में जमा नहीं किया जाना

सरकारी निर्देशानुसार मकान कर का 50% स्वास्थ्य उपकर एवं 50% शिक्षा उपकर के मद में नगर निकाय द्वारा वसूल करना था तथा 10 प्रतिशत की राशि वसूली के एवज में काटकर 90 प्रतिशत की राशि सरकारी निधि में जमा की जानी थी। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये गये आकड़ों के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक में कुल रू0 2,37,008 की वसूली क्रमशः शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर से की गयी थी जिससे 10 प्रतिशत की राशि की कटौती कर 90 प्रतिशत की राशि रू0 2,13,308 सरकारी निधि में जमा नहीं किया गया था। विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	स्वास्थ्य उपकर	शिक्षा उपकर	कुल
2012-13	16051	16051	
2013-14	15714	15714	
2014-15	86739	86739	
कुल	118504	118504	237008
90 प्रतिशत जमा करने योग्य राशि	106654	106654	213308

उक्त आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित विभाग को भेज दी जयेगी।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर की राशि संबंधित विभाग को भेज कर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

—हस्ता0—
संजीव नयन
ले0प0अ0
—अनुमोदित—
उप महालेखाकार (SS-I)
—सह—
स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार

Appendix-I

Referred In Para 03.

List Of Records Produced And Test Checked

1. Accountant Cash Book, Cashier Cash Book and Subsidiary Cash Books.
2. Treasury Passbooks, Bank Passbooks and Bank Statements.
3. Scheme Register, Scheme Files.
4. H receipts, Miscellaneous Receipts and Stock Registers of HR and MR.
5. Sairat Files, Purchase files.
6. Vouchers and Salary Bills.

[Handwritten signature]
A A O

Appendix-II

Referred In Para 03.

List Of Records Not Produced

1. Annual, Monthly and Quarterly accounts of receipts and payments.
2. Govt Grant, Utilisation certificate, Loan and Loan appropriation register.
3. Law account and Suit register.
4. Advance ledger and adjustment register, Permanent advance register.
5. P F ledger and passbooks, Abstract of P F ledger.
6. Deposit ledger, Investment register, Stock and store register.
7. Service Books, Personnel files, Leave accounts.
8. Register showing sanctioned strength and superannuation of employees.
9. Fuel account, Audit register, Budget estimates, Proceeding register.
10. Asset register, Assessment register, Vehicle register, Tin ticket register.
11. Demand and collection register of Holding tax, Shops, O & D trades.
12. Water connection register, Progress statement and K ledger.
13. List of outstanding taxes, Mutation register, Remission register.
14. Building petition register, Saleable form accounts, Rent register.
15. Compliance report of last and previous Audit Reports.
16. Fixed demand register of Shops, Stalls, Land, Market etc..
17. Pension account and Files of revision of taxes.
18. Logbooks of vehicles.

X
jeo
AAO